कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 23390 / स्था / एमसी / विज्ञप्त / 2021 रीवा दिनांक 18/10/21

विज्ञप्ति

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 2–06/1/55/2018 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में सह–चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त पदो पर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में कार्यरत, पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों पर निर्धारित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

आवेदन की अंतिम तिथि – ~~12~~ 31.10.2021 सायं 05:00 बजे तक

स.क्रं.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	स्वीकृत रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार वर्गीकरण		
			अना.	अजजा	अजा
1.	लैब टेक्नीशियन	06	04	01	01
2.	ओ.टी. टेक्नीशियन	03	02	01	00
3.	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	01	01	00	00
4.	एक्स–रे टेक्नीशियन	01	01	00	00
5.	फार्मासिस्ट ग्रेड–1	01	01	00	00
6.	लाइब्रेरियन	01	01	00	00
7.	असिस्टेट लाइब्रेरियन	01	01	00	00
8.	लेखापाल	01	01	00	00
9.	सहायक ग्रेड–1	01	01	00	00
10.	सहायक ग्रेड–2	02	02	00	00
11.	सहायक ग्रेड–3	01	01	00	00

अर्हताएं एवं वेतनमान

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	वेतनमान
1.	लैब टेक्नीशियन	18 वर्ष	लैब असिस्टेन्ट के पद 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	5200–20200+2800
2.	ओ.टी. टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. ओ.टी. असिस्टेन्ट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव। 2. ओ.टी. असिस्टेन्ट का 01 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।	5200–20200+2800
3.	रेडियोग्राफिक/ रेडियोग्राफर टेक्नीशियन	18 वर्ष	एक्स–रे टेक्नीशियन के पद 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	5200–20200+2800
4.	एक्स–रे टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. डार्क रूम असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिग्री/डिप्लोमा /प्रमाण–पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन ।	5200–20200+2800

क्रमशः पेज–02

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	वेतनमान
5.	फार्मासिस्ट ग्रेड–1	18 वर्ष	फार्मासिस्ट ग्रेड–2 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	5200–20200+2800
6.	लायब्रेरियन	18 वर्ष	असिस्टेंट लायब्रेरियन/कैटलॉगर के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	5200–20200+2800
7.	असिस्टेंट लायब्रेरियन	18 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी सांइस में स्नातक उपाधि।	5200–20200+2100
8.	लेखापाल	18 वर्ष	1. कैशियर/स्टोर कीपर के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव। 2. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण (45 वर्ष की आयु तक)	5200–20200+2800
9.	सहायक ग्रेड–1	18 वर्ष	सहायक वर्ग–2 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	5200–20200+2800
10.	सहायक ग्रेड–2	18 वर्ष	सहायक वर्ग–3/रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव तथा जो स्टेनोटायपिस्ट, स्टेनोग्राफर के लिये निर्धारित अर्हता (शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से) पूर्ण नही करते है, वे भी सहायक ग्रेड–2 के पद पर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।	5200–20200+2400
11.	सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण। **अथवा** 4. भृत्य के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो।	5200–20200+1900

टीप :– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी–3–18/1/3/2010 दिनांक 31.08.2010 एवं सी–3–8/2013/1/3 दिनांक 01.07.2013 में दिये गये प्रावधान अन्तर्गत भृत्य को सहायक वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जायेंगी कि नियुक्ति उपरान्त 02 वर्ष के समयवधि के भीतर सहायक वर्ग–3 के पद हेतु निम्नानुसार अर्हता प्राप्त कर ली जायेगी इस अवधि में कोई परीक्षा उत्तीर्ण न किये जाने से परीक्षण अवधि आगामी 03 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी किन्तु ऐसे मामले में कुल परीक्षण अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी यदि 05 वर्ष की परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे उसकी मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस शर्त से छूट प्रदान की जावेगीः–

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अप्लिकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो।
2. म.प्र. शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।

क्रमशः पेज–03

<u>शर्ते एवं निर्देश :–</u>

1. पदों की संख्या में नियमानुसार वृद्धि या कमी हो सकती है।
2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा जारी राज्य स्तरीय पदोन्नति आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है।
3. आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
4. आवेदन शुल्क :– अनारक्षित वर्ग हेतु 800/– (रूपये आठ सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए रू. 700/– (रूपये सात सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट "CEO & DEAN, SS Medical College Rewa" के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. डिमाण्ड ड्राफ्ट के पिछे उम्मीदवार का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना आवश्यक होगा।
6. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि** :– अधिष्ठाता कार्यालय, स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2021 ~~15.09.2021~~ सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के साथ–साथ आवेदन पत्र का प्रारुप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट <u>www.ssmcrewa.com</u> में उपलब्ध रहेगी।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक ....स्था./राज/एम.सी./2021 रीवा दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त रीवा संभाग रीवा एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
4. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
6. केन्द्रीय पुस्तकालय, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
7. समस्त अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अन्य शर्ते :–

1. **यात्रा भत्ता** :–दस्तावेज सत्यापन के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
3. निरर्हतायें–

   3.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
   3.2 दुश्चरित्र होने पर।
   3.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
   3.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
   3.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
   3.6 दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
   3.7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
   3.8 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
   3.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
   3.10 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एंवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

4. चयन होने पर नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवार को अपने वर्तमान पद से त्याग पत्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
5. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः **एक वर्ष की अवधि** के लिये परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
6. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
7. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. *चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से की जावेगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं समय–सारणी महाविद्यालय की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जावेगी।* चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट www.ssmcrewa.com का निरंतर अवलोकन् करें। यदि आवेदक समय–समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो अभ्यार्थी की दावेदारी मान्य नही की जावेगी।
9. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर चयन/नियुक्ति होती है तो, भविष्य में संबंधित की अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त की जावेगी एवं तद्नुसार विधिक कार्यावाही संस्थित की जावेगी।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति को यथोचित कारण के साथ रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. अभ्यर्थिता का रद्द करने के लिए –

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्ही आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिया रद्द हो जाएगी, जिसने –

(क) लिखित परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है, या

(ख) प्रतिरूपण किया हो, या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो, या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों, या

(ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो, या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो, या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक/वीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो , या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक/वीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो, या

(ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

13. मैरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया :–

भर्ती परीक्षा उपरांत कॉमन एवं संवर्गवार मेरिट सूची अभ्यार्थियों के भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी। उपरोक्त परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की परस्पर मेरिट सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया क्रमानुसार अपनायी जावेगी :–

1. अभ्यार्थियों के जन्म तिथि को विचार में लिया जाकर अधिक आयु के उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी।
2. बिन्दु क्र. 01 समान होने की दशा में न्यूनतम अर्हता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।
3. बिन्दु क्र 01 एवं 02 समान होने की परिस्थिति में अभ्यार्थियों के 12वीं परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक, रीवा
आवेदन का स्वरूप

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो (नाम एवं दिनांक सहित)

1. आवेदित पद का नाम ....
2. विज्ञापन क्रमांक .... दिनांक ....
3. आवेदक का पूरा नाम (उप नाम सहित)....................................
4. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित).......................................
5. जन्म तिथि ..../........./......................
   (सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. आयुः– वर्ष...........माह..........दिन.............(दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में)
7. बैंक का नाम एवं ड्राफ्ट क्रमांक...दिनांक.................................
8. वर्तमान निवास का पता तथा पिन कोड :–..
   ....
9. स्थाई निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड :– ....
   ....
10. आवेदक की श्रेणी (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अपिव/ई.डब्ल्यू.एस.)..
11. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि ....
12. संबंधित पंजीयन काउंसिल में जीवित पंजीयन क्रमांक ....
13. शैक्षणिक योग्यता :–(विज्ञापन अनुसार पद हेतु उल्लेखित समस्त अर्हता परीक्षाओं की जानकारी)

क्र.	परीक्षा का नाम	महाविद्यालय/बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक

14. अन्य विशेष योग्यता :– ....

आवेदक का नाम लिखे...

क्रमशः.....02

15. **निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :–**

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	(हां/नहीं/लागू नहीं)
1.	आवेदन शुल्क – डिमाण्ड ड्राफ्ट।	
2.	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
3.	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
4.	अर्हता परीक्षा(ओ) से संबंधित समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
5.	संबधित पंजीयन परिषद् का जीवित पंजीयन।	
6.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
7.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
8.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति– प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
9.	निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ–पत्र।	
10.	अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

स्थान : **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**
दिनांक :

//घोषणा–पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं है और न ही मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच प्रचलन में है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।
4. म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर पूर्ण रूपेण बंधनकारी होंगें।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

———000———